न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र लालाराम
2. बोदूराम पुत्र लालाराम
3. दुलीचन्द पुत्र लालाराम
4. श्रवणराम पुत्र लालाराम
5. नारायणी पुत्री लालाराम
6. नानुड़ी पुत्री लालाराम
7. मंगलीदेवी पत्नी लालाराम
8. मोहनीदेवी पत्नी हीरालाल
9. सुभाष पुत्र हीरालाल
10. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल ना.बा.
11. उजास पुत्र हीरालाल ना.बा.
12. सोनी पुत्री हीरालाल ना.बा.

जाति सभी कुम्हार सा. हेमपुरा

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मोतीराम पुत्र भुवानाराम कुमावत सा. पाचोंता
2. रामेश्वरलाल पुत्र भीवाराम जाट सा. राजास
3. जगदीश पुत्र नारायणराम जाट सा. राजास
4. तहसीलदार नांवा

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपस्थित :– श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रार्थीगण
श्री बजरंगलाल वकील अप्रार्थी संख्या 1

मुकदमां नम्बर :– 17/2016

निर्णय दिनांक :– 30.03.2017

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम हेमपुरा तहसील नांवा के खसरा नम्बर 280 रकबा 1.32 हैक्टयर भूमि में आवागन हेतु मौके के पर चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता हैं न ही कोई रास्ते का विकल्प मौजूद हैं जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी सुदा भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी कठीनाई सामना करना पड़ रहा हैं प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 280 में आवागन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.39 हैक्टयर में से पश्चिमी माठ के पास पास 114 फुट पूर्व पश्चिम लम्बाई में स्थित शमशान भूमि व पक्की दिवार को छोड़कर उत्तर से दक्षिण 29 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 145 वर्ग मीटर अर्थात 0.0145 हैक्टयर भूमि राजकीय कटाणी रास्ता दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को रहत प्रदान किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

30/3/17
उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार नांवा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी 2, 3 की ओर से वकील श्री राजेश कुमावत ने वकालत नामा पेश किया तथा अप्रार्थी 1 की ओर से वकील श्री बजरंगलाल ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी 4 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी 2, 3 के अधिवक्ता को बार बार जवाब हेतु समय दिया जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया प्रकरण को 90 दिन से अधिक समय व्यक्ति होने जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने व अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई अप्रार्थी 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थीगण ने जिस तरफ से रास्ते की मांग की हैं इस इस्तदुआ का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.39 हैक्टयर की पश्चिमी सीव पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जबकि खसरा नम्बर 280 में जाने के लिऐ नांवा – सीकर रोड़ जो खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सीवं के पास पास खसरा नम्बर 280 नजदीक पड़ता हैं जबकि प्रार्थीगण द्वारा पश्चिमी सींव पर रास्ते की मांग की हैं तथा खसरा नम्बर 280 में जाने के लिऐ खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सीव के पास पास रास्ता चालू हैं तथा मौका रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया हैं कि खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सीव पर खसरा नम्बर 280 में जाने के लिऐ रास्ता खुला हैं तथा दूरी कम लगती हैं जिससे खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी सींव पर रास्ता नहीं दिया जाकर पूर्वी सींव पर रास्ता दिया जाना उचित हैं प्रार्थीगण ने नजदीकी कटाणी रास्ते से मांग नहीं की हैं जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट का अलोकन किया एवं गहनता से मनन किया।

जामबान्दीयो के अनुसार खसरा नम्बर 280 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं एवं खसरा नम्बर 279 की खातेदारी अप्रार्थी 1 से 3 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, खसरा नम्बर 279 के उत्तर में नांवा – सीकर रोड़ स्थित हैं जिसके खसरा नम्बर 223 हैं उक्त रोड़ के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 279 व 279 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 280 स्थित हैं प्रार्थीगण की भूमि के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता हैं मौके पर खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सीव पर सड़क से 280 तक रास्ता छोड़ा हुआ हैं जो चालू हैं मौका रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सींव पर जो रास्ता मौके पर चालू हैं वो खसरा नम्बर 280 में जाने के लिऐ उपर्युक्त हैं एवं पश्चिमी सीमा के बजाय पूर्वी सीमा पर सड़क की दूरी नजदीक हैं।

उरोक्त विवचेन के अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिऐ जाने की मांग की हैं जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी सींव के बजाय पूर्वी तरफ गै.मु. सड़क खसरा नम्बर

30/3/17

223 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 280 के लिऐ नजदीक हैं तथा मौके पर रास्ता रखा हुआ हैं जो चालू हैं जिससे पश्चिमी सींव के बजाऐ पूर्वी सींव पर रास्ता दिया जाना उचित है, अप्रार्थी 1 के केवल यह ऐतराज उठाया हैं कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी सीमा पर रास्ते की मांग की हैं जबकि पूर्वी सींव से रास्ता दिया जाना उपर्युक्त हैं क्योंकि उस तरफ कटाणी रास्ता नजदीक हैं व मौका रिपोर्ट में भी पूर्वी तरफ रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं व मौके पर चालू हैं प्रार्थीगण ने पूर्वी तरफ से मांग नहीं की हैं जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 280 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की हैं जिसके चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता हैं तथा खसरा नम्बर 279 में से रास्ता दिया जानो के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं रास्ता सबसे नजदीक कटाणी रास्ते से दिऐ जाने का प्रावधान हैं प्रार्थीगण द्वारा मांग खसरा नम्बर 279 की भूमि में से ही की हैं मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 279 में से पश्चिमी सीमा के बदले पूर्वी सीमा पर कटाणी सड़क नजदीक होने से पूर्वी सींव पर रास्ता प्रस्तावति किया हैं केवल इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। पूर्वी तरफ रास्ता चालू हैं तथा नजदीक भी हैं लेकिन उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं पूर्वी सीमा पर चालू रास्ते को भविष्य में अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि में आने जाने के लिऐ अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर ग्राम हेमपुरा के खसरा नम्बर 279 रकबा 0.30 हैक्टयर भूमि के पूर्वी सीमा के अन्दर अन्दर नांवा – सीकर सड़क से खसरा नम्बर 280 के उत्तरी पूर्वी कोने तक 5 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नांवा को आदेश दिया जाता हैं कि खसरा नम्बर 279 की पूर्वी सीमा पर 5 मीटर चौड़ा घोषित रास्ते का नाप – चौप कर जितनी भूमि रास्ते में जा रही हैं उसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना करते हुऐ जितनी राशि बनती हैं उसकी दो गुणा राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खसरा नम्बर 279 के वर्तमान खातेदारो को उनके हक हिस्से में दर्ज अनुसार राशि का बंटवारा करते हुऐ भुगतन किया जाकर घोषित सुदा रास्ते को गै.मु. कटाणी रास्ता राजकीय खाते में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)